संख्या-48 /2019/2298/71-2-2019-रिट-34/2014

प्रेषक,

डा0 रूपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 02 अक्टूबर, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में के0जी0एम0यू0 के विभिन्न विभागों में मेडिकल गैसेज प्लान्ट एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-6651/योजना अनु0/2019, दिनांक 18-9-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- के0जी0एम0यू0 के विभिन्न विभागों में मेडिकल गैसेज प्लान्ट एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या- 105/2018/1588/71-2-2018-रिट-34/2014, दिनांक 04-07-2018 द्वारा रू0 2726.72 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी, जिसके क्रम में अनुमोदित लागत के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 2090.69 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (रूपये लाख में)
1	105/2018/1588/71-2-2018-रिट-34/2014, दिनांक 04-7-2018 **(अनु0 संख्या-31)**	861.64
2	106/2018/2211/71-2-2018-रिट-34/2014, दिनांक 04-7-2018 **(अनु0 संख्या-83)**	229.05
3	17/2019/419/71-2-2019-रिट-34/2014, दिनांक 28-2-2019 **(अनु0 संख्या-31)**	820.00
4	17/2019/419/71-2-2019-रिट-34/2014, दिनांक 28-2-2019 **(अनु0 संख्या-83)**	180.00
	योग-	**2090.69**

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में के0जी0एम0यू0 के विभिन्न विभागों में मेडिकल गैसेज प्लान्ट एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु अनुदान संख्या-31, चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण) से रू0 415.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना) से रू0 84.69 लाख अर्थात कुल रू0 499.69 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों एवं समाज कल्याण विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
3) प्रायोजना हेतु निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा जायेगा। किया सुनिश्चित अनुपालन का निर्देशों-
4) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति0यू0एम0जी0के , की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक में 2019 मार्च 22 दिशा उल्लिखित-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों अनुपालन :अक्षरश का परिनियमों/ जायेगा। किया

6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

7) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा धनराशि को कोषागार से आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" से रू0 415.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0 लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" से रू0 84.69 लाख, के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रूपेश कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या- 48 /2019/ 2298 (1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार उ ,द्वितीय/प्रथम (हकदारी एवं लेखा)0प्र0, इलाहाबाद।
2) प्रधान महालेखाकार 0प्र0उ ,द्वितीय/प्रथम (आडिट सिविल), इलाहाबाद।
3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ ।
4) महानिदेशक ।0प्र0उ ,प्रशिक्षण एवं शिक्षा साचिकित् ,
5) वित्त नियंत्रक0यू0एम0जी0के ,, लखनऊ।
6) महाप्रबन्धकधकप्रबन् परियोजना/, उ0लि0नि0नि0रा0प्र0, लखनऊ।
7) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4-अनुभाग (ययकव्-आय) तवित्/2 बजट) विभाग याणकल् समाज/ नि याणकल्/ठप्रकोष्योजन प्रकोष्ठ ।(
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in